

कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अम्बिकापुर छ0ग0

—::विज्ञापन::—

अम्बिकापुर दिनांक 30/12/2017

क्रमांक/1/538 /पंचायत/मुपसयो/2017 छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/995/आर 70/मुपसयो/22-1/2016 नया रायपुर दिनांक 21.07.2016 द्वारा जारी परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 1.3 अनुसार मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना अंतर्गत जनपद स्तर पर स्वीकृत संविदा पद पर संविदा भर्ती हेतु दिनांक 15/01/18 सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

रिक्त पदों की विवरण सारणी

(अ) संकाय सदस्य वर्ग - 5

अनारक्षित			अजजा			अजा			अपिव			कुल
महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	
01	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01

(ब) डाटा एण्ट्री आपरेटर

अनारक्षित			अजजा			अजा			अपिव			कुल
महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	महिला	मुक्त	योग	
01	01	02	01	03	04	0	0	0	0	0	0	06

शैक्षणिक अर्हता—


- संकाय सदस्य वर्ग - 05 (संविदा नियुक्ति) अवधि-01 वर्ष हेतु
 - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक।
 - एक वर्ष का कार्य अनुभव (किसी भी शैक्षणिक संस्था में)
संविदा वेतन- रू0 18655/ एक मुश्त मासिक
- डाटा एण्ट्री आपरेटर (संविदा नियुक्ति) अवधि-01 वर्ष हेतु
 - मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+02 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना हा.से.उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा।
 - डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 01 वर्षीय डिप्लोमा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एण्ट्री की गति 8000 key डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
 - किसी भी शासकीय कार्यालय का कार्यानुभव (प्रत्येक वर्ष 02 अंक)
संविदा वेतन- रू0 16445/ एक मुश्त मासिक

अन्य शर्तः—

- आवेदक को जिला सरगुजा का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- दिनांक 01.01.2018 को आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

3. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्म जांच की जाकर सभी पदों की पृथक-पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेंगी जो स्वीकृत पदों के पांच गुना होगी।
4. तैयार मेरिट सूची से सभी पदों के अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं लिखित/प्रायोगिक परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।
5. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा/साक्षात्कार के उपरांत योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किया जावेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों के साथ प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी जो कि एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
7. वेतन:- उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहभाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
8. आरक्षण:-
 1. मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण अभियान योजनांतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित राज्य/जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।
 2. आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
9. नियुक्ति की अवधि:- संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
10. अवकाश की पात्रता:- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिवस ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा।
11. यात्रा भत्ता:- संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
12. अन्य शर्त:-
 1. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा आरक्षण नियम, 1965 से शासित होंगे।
 2. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किस एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ कर्मचारी की पात्रता नहीं होगी।
 4. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।

13. आवेदक आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता संबंधी सभी प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित/राजपत्रित अधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन का प्रारूप जिला पंचायत सरगुजा के सूचना पटल एवं जिला के वेबसाईट www.surguja.gov.in पर देखा जा सकेगा।
14. उम्मीदवारों को आवेदन करने की तिथि को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक होगा। किसी संस्था/कार्यालय में नियोजित उम्मीदवारों को नियोक्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 15.1.2018 नियत है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ, स्वयं के पत्र व्यवहार पता लिखित व 25 रूपये की डाट टिकट लगा हुआ, लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा। लिफाफा पर आवेदित पद का नाम आवेदन पत्र पर उल्लेख करना होगा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सरगुजा

..... पद हेतु आवेदन-पत्र

पासपोर्ट साईज की नवीनतम फोटोधाक चरपा करे, एवं स्वहस्ताक्षर कर प्रमाणित करे।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सरगुजा

संदर्भ:- विज्ञापन क्रमांक / / दिनांक

1- आवेदित पद का विवरण

क- पद का नाम :-

ख- आवेदित पद के आरक्षण का प्रवर्ग :-

अनारक्षित मुक्त () / अनारक्षित महिला () / अ.जा.मुक्त () / अ.जा.महिला ()
/ अ.ज.जा.मुक्त () / अ.ज.जा.महिला () अपिव.मुक्त () / अपिव.महिला ()
/ नि:शक्त मुक्त () / नि:शक्त महिला () / अन्य ()

(संबंधित प्रवर्ग के समक्ष सही का (✓) चिन्ह लगावें।

2. आवेदक का पूरा नाम :

3. लिंग (पुरुष / महिला) :

पुरुष () महिला ()

4. पिता / पति का नाम :

5. अ- जन्मतिथि- अंको में माह

: तिथि माह वर्ष

ब- शब्दों में

:

स- विज्ञापन जारी होने की तिथि को आयु:

वर्ष माह दिन

(जन्मतिथि के प्रमाण हेतु हाईस्कूल अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

6. जाति (प्रवर्ग-अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) :

(आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

7. क्या आवेदक छ0ग0 का मूल निवासी है

: हाँ नहीं

8. पत्र व्यवहार का स्थायी पता

:

.....

.....

9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन का विवरण:-

(क) रोजगार का कार्यालय का नाम

:-

(ख) प्रथम पंजीयन का क्रमांक व दिनांक

:-

(ग) नवीनीकरण कराये जाने की तिथि

:-

(घ) अगली नवीनीकरण कराये जाने की तिथि

:-

कमश: /

10. शैक्षणिक अर्हता संबंधी जानकारी

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	संकाय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	2	3	4	5	6	7
01						
02						
03						
04						
05						

टीप:- उल्लेखित सभी अर्जित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न की जावे।

11. यदि आवेदक 40: या उससे अधिक नि:शक्तता से बाधित हो तो निम्न जानकारी दी जावे :-

क्र.	नि:शक्तता का प्रकार	नि:शक्तता का प्रतिशत	मेडिकल बोर्ड का नाम जहां से विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया है	प्रमाण पत्र का क्र. व दिनांक	विशेष
1	2	3	4	5	6
	—	—	—	—	—

टीप:- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे।

12. अन्य कोई जानकारी यदि हो तो

13. संलग्न सत्यापित दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का विवरण :-

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-

घोषणा-पत्र

मैं / आत्मज..... जाति उम्र निवासी
 शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई
 समस्त जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र मेरे जानकारी व विवेक के अनुसार
 सत्य तथा प्रमाणिक है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी व दस्तावेज असत्य, फर्जी व
 कूटरचित पाये गये तो नियोक्ता को मेरी नियुक्ति निरस्त करने व आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का
 पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

(नाम -))

पता-

मोबाईल नंबर